शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
शिक्षामंत्रालय,
उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार

होम

अपने सुनहरे भविष्य के लिए सीखें ..
जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रमसफलतापूर्वक पूर्ण किया है,उन्हें प्रमाण –पत्र प्रदान करना ।

समाचार एवं घटनाक्रम

उम्मीदवारलॉगिन

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड आपके करियर को शुरू करने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह एक खोज उपकरण से कहीं अधिक हैयह जीवन से आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए पहला कदम बनाता है। साइनइन और साइनअप करना बहुत आसान है।

लॉगिन

नोटः यह एक बाहरी लिंक है क्या आप इसे जारी रखना चाहते हैं

नियोक्ता लॉगिन

सही उम्मीदवारों के डेटाबेस के बारे में जानकारी प्राप्त करें या खोजें। उम्मीदवारों के बारे में तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक और अधिक कुशल जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे लॉग इन करें।

लॉगिन

नोट– यह एक बाहरी लिंक है क्या आप इसे जारी रखना चाहते हैं !

संस्थान लॉगिन

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डमेंपंजीकरण करके आप अपने संस्थान का नाम ढूंढ सकते हैं। पंजीकृत संस्थान अपने लॉगिन विवरण के साथ इसके उपयोग कर साइन इन कर सकते हैं

लॉगिन

नोटः यह एक बाहरी लिंक है क्या आप इसे जारी रखना चाहते हैं ।

सेवाएं ---

- योजना के बारे में
- लाभार्थी
- नियुक्ति प्रक्रिया
- अभिनव दृष्टिकोण

आयोजित कार्यक्रम. .

- **उद्योग** संस्थान भागीदारीबैठक आयोजित की गई ।
- शिक्षुता मेला आयोजित की गई।

शिक्षुता के लिए छात्र नामांकन

- ईआर. पेरुमल मणिमेकलाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, होसुरीमेंशिक्षुता मेलाआयोजन किया गया ।

आईआईपीएम@ चेन्नई

- चेन्नई में आयोजित **उद्योग**संस्थान भागीदारी बैठक।

मंत्री जी का वक्तव्य –

"प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना प्रतिष्ठानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण स्रोतों में से एक है।

--

भारत सरकार

प्रशंसापत्र ----

- **व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण ने मेरी बहुत मदद की हैऔर आसानी से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।मुझे इतना बड़ा अवसर देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद।**
- **"इस संगठन में एक साल के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के दौरान काम करना अच्छा था ।जहां हमें एक कार्यस्थल में व्यावहारिक अनुभव था। हमने बहुत से नए सॉफ्टवेयर और उनके एप्लिकेशन भी सीखे हैं, जो भविष्य के करियर के निर्माण की नींव है।"**
- **भारत सरकार द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त करके आभार व्यक्त करने के लिएआज मेरे पास शब्द नहीं हैंक्योंकि मेरा जीवन प्रशिक्षण की कमी को दूर करके बहुत सारे अवसरों से पूरी तरह बदल गया है।**
- **मैं व्यक्तिगत रूप से BOAT को धन्यवाद देना चाहता हूं किमुझे पिछले 2 महीनों से मेरे साक्षात्कार के साथ और सही शिक्षुता प्राप्त करने में मदद की।मैं आपकी मदद और कड़ी मेहनत के लिए आपको फूलों का एक गुच्छा भेजना चाहता हूं।आपने मेरे लिए शिक्षुता खोजने में बिताया।आपने मुझे साक्षात्कार का सामना करने का साहस औरआत्मविश्वास दिया और मुझे एक अच्छी नौकरी दिलाई ।**

हमारे बारे में ....

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

परिचय :

वैज्ञानिक श्रम शक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसरण के तहत, इंजिनियरिंग स्नातकों एवंइजिनियरिंग में डिप्लोमा धारकों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण योजना स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक योजना के तहत शुरू की गई थी, जिसे व्यावहारिक प्रशिक्षण वजीफा योजना (पीटीएस योजना) के रूप में जाना जाता था। इस योजना में, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में सीमित संख्या में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को मासिक वजीफा पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उद्योगों में प्रशिक्षित किया गया था। पीटीएस योजना विशुद्व रूप से स्वैच्छिक आधार पर थी और प्रशिक्षुओं को दिया जाने वाला वजीफा पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता था और इस योजना को सीधे तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता था।

अधिनियम 1961 को लागू करना

भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण के महत्व पर जोर दिया गया ताकि अधिकांश लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें और आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। **उद्योगों** के लिए आवश्यक विभिन्न कौशलों की पहचान की गई। उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने का निर्णय लियाऔर इस प्रकार शिक्षुता प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई थी और दिसंबर 1961 के दौरान अधिनियम, 1961 को संसद में लागू किया गया।ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पास-आउट को उनकी तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय शिक्षुता परिषद बनाई गई थी।

अधिनियम में संशोधन

सक्षम पर्यवेक्षकों और इंजीनियरों को विकसित करने के लिए, वर्ष 1973 के दौरान अप्रेंटिस अधिनियम में संशोधन किया गया था, तदनुसार इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारकों को योजना के दायरे में

लाया गया और उन्हें स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षु कहा गया। इसके अलावा, वर्ष 1986 में, उच्चतर माध्यमिक (10 + 2) व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों को योजना के दायरे में लाने के लिए अप्रेंटिस अधिनियम में एक बार फिर संशोधन किया गया था।अप्रेंटिस की नई श्रेणी को तकनीशियन (व्यावसायिक) अप्रेंटिस के रूप में जाना जाता है।

2014 के दौरान गैर इंजीनियरिंग डिग्री (या) डिप्लोमा धारकों को स्नातक और तकनीशियन शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में शामिल किया गया है।

इंजीनियरिंग छात्रों के लिए स्नातक और तकनीशियन शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत क्षेत्रीय शिक्षुता / व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड को सौंपा गया।

स्नातक और तकनीशियन शिक्षुता योजना के तहत वैकल्पिक व्यापार के अलावा 164 विषय क्षेत्रों / इंजीनियरिंग की शाखा को अधिसूचित किया गया है।

कार्यान्वयन प्राधिकरण ---

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अप्रेंटिस (संशोधन) अधिनियम के अनुसार इंजीनियरिंग स्नातकों, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू कर रहा है।

हमारे देश में उपरोक्त योजना को लागू करने के लिए चार क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित किए गए हैं और विवरण इस प्रकार हैं ।

दक्षिणी क्षेत्र –

निदेशक
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
सी आई टी परिसर,
तारामणि, चैन्नई 600 113
दूरभाष-044-22542236 / 22541292

उत्तरी क्षेत्र –

निदेशक
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र)
प्लॉट नंबर 16, ब्लॉक -1 - ए लखनपुर

जी.टी. रोड
कानपुर - 208 024
दूरभाष -05122584056 / 2584057
ईमेल: admin@boatnr.org / batnorth@dataone.in

पूर्वी क्षेत्र

निदेशक
व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र)
ब्लॉक ईए, सेक्टर -1
सॉल्ट लेक सिटी
कोलकाता - 700 064
दूरभाष - 033-23370750 / 23370751
ईमेल: bopter@gmail.com / director@bopter.gov.in

पश्चिमी क्षेत्र
निदेशक
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र)
नवीन प्रशासनिक भवन
वी.एन.पूर्व मार्ग
ए.टी.आई.कैंपस सायन
मुंबई - 400 022
दूरभाष-022-24055635 / 24053682
ईमेल: director.boatwr@gmail.com

दक्षिणी क्षेत्रीय बोर्ड का गठन

अध्यक्ष **शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)** **चौथा क्रॉस रोड,** **सी आई टी परिसर** **तारामणि** **चेन्नई - 600 113**	**केन्द्र सरकार के द्वारा नामित** **शिक्षा मंत्रालय** **उच्चतर शिक्षा विभाग** **भारत सरकार, शास्त्री भवन** **नई दिल्ली- 110 001**

भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संगठन (दक्षिणी क्षेत्र) के तीन प्रतिनिधि जो कि अब उद्योग सी आई आई (दक्षिणीक्षेत्र) का प्रतिनिधित्वकरेंगे ।

तकनीकी संस्थानों (या इंडियन सोसाइटी फॉरटेक्निकलएजुकेशन, जैसा भी मामला हो) के एसोसिएशन के दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का एक प्रतिनिधित्वकरेंगे।

(तकनीकी शिक्षा निदेशक) दक्षिणी क्षेत्र की चार राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्वकरेंगे ।

आयुक्त तकनीकी शिक्षा तमिलनाडु सरकार सरदार पटेल रोड चेन्नई 600 025	निदेशक तकनीकी शिक्षा केरल सरकार पद्माविलासम रोड, फोर्ट तिरुवनंतपुरम - 695 023	निदेशक तकनीकी शिक्षा कर्नाटक सरकार पैलेस रोडबेगंलूरू - 5600 01	आयुक्त तकनीकी शिक्षा एएनआर टावर्स जम्मी चेट्टू स्ट्रीट प्रसादमपाडुविजयवाडा - 521108 आंध्र प्रदेश सरकार

केंद्र सरकार से नामांकित

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों और अन्य हितों सेनामांकित

तकनीकी शिक्षा प्राधिकरणों और अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की दक्षिणी क्षेत्र समिति सेनामांकित।

दक्षिणी क्षेत्र में चार राज्यों के उद्योग संपर्क बोर्डों में से प्रत्येक के प्रतिनिधि:

निदेशक प्रशिक्षण–सदस्य / सचिव : निदेशक शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (दक्षिणी क्षेत्र) चेन्नई - 600 113.

(अ) सहयोजित सदस्य

आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल&लक्षद्वीप	तमिलनाडु	पुदुचेरी	तेलंगाना
विशेष आयुक्त तकनीकी शिक्षा एवं कॉलेजिएट शिक्षा आयुक्त कार्यालय, एएनआर टावर्स, जम्मी चेट्टू स्ट्रीट प्रसादमपाडु, विजयवाड़ा - 521108	स्नातक एवं तकनीशियन शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशालय पैलेस रोड बंगलूरू 560001 दूरभाष नं. 080-	निदेशक तकनीकी शिक्षा केरल सरकार पद्माविलासम रोड , फोर्ट तिरुवनंतपुरम - 695023दूरभाष नं.0471 2451369 ईमेल: dtekerala@gmail.com सहायक निदेशक	तकनीकी शिक्षा आयुक्त तमिलनाडु सरकार, गिंडी, चेन्नई - 600 025 दूरभाष: 044 22350525 फैक्स: 044 - 22201514 ईमेल:tndote@gmail.com	श्रम आयुक्त श्रम परिसर गांधी नगर पुदुचेरी - 605009 दूरभाषनं. 0413-2273275 और फैक्स: 0413-2279211 ईमेल:le.pon@nic.in	आयुक्त तकनीकी शिक्षा आयुक्तालय, 5वीं और 6ठी मंजिल, बी.आर.के. आर. भवन, टैंक बंड रोड, हैदराबाद - 500 063 आयुक्त,

	22200291 फैक्स नं 080-22261212	प्रर्यवेक्षण विकास केंद्र नाड रोड कलामास्सेरी - 683104 एर्नाकुलम जिला ईमेल: sdckalamassery@gmail.com दूरभाष एवं फैक्स: 04842556530			इंटरमीडिएट शिक्षा आयुक्तालय दूरभाष नं.: 040 - 24655915 फैक्स नंबर 040-24655927 ई-मेल: cie.peshi@gmail.com; cie_commissioner@yahoo.co.in प्रशिक्षण एवं नियुक्ति अधिकारी

संगठन चार्ट देखें

लाभार्थियों

उद्योग /प्रतिष्ठान

क्षेत्र

केंद्रीय क्षेत्र

केंद्र सरकार के विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

राज्य क्षेत्र

राज्य सरकार के विभाग/संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

निजी क्षेत्र

सार्वजनिक / निजी लिमिटेड कंपनियां / उद्योग / बहुराष्ट्रीय कंपनियां / आईटी / बीपीओ / केपीओ / आतिथ्य / स्वास्थ्य सेवा / विनिर्माण / सेवा क्षेत्र / रसद / बैंकिंग और वित्त / दूरसंचार / पर्यटन / प्रक्रिया उद्योग / फार्मास्युटिकल

तकनीकी संस्थान

- इंजीनियरिंग कॉलेज / तकनीकी विश्वविधालय
- पॉलिटेक्निक कॉलेज

छात्र

- इंजीनियरिंगस्नातक
- इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक

सैंडविच कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेजों से 3 1/2 वर्ष की अवधि के छात्र

अभ्यर्थी की पात्रता

प्रशिक्षुओं की श्रेणी	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
स्नातकअप्रेंटिस (इंजीनियरिंग)	• एक वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री। • किसी संस्था द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा ऐसी डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया हो। • एक डिग्री के समकक्ष के रूप मेंव्यावसायिक निकायों की स्नातक परीक्षाजिसे केन्द्र सरकार ने मान्यता दी हो। • एक सैंडविच कोर्स का छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ताकि वह ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री प्राप्त कर सके।
तकनीशियन अप्रेंटिस (इंजीनियरिंग)	• राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा । • किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। • ऊपर (ए) और (बी) के समकक्ष राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। • एक सैंडविचपाठयक्रमका छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्तकर रहा हैताकि वह ऊपर (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित डिप्लोमा प्राप्त कर सके।

प्रशिक्षुओं का चयन

इस बोर्ड द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण स्लॉट को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से भरा जाना आवश्यक है–

- इंजीनियरिंग / पॉलिटेक्निक कॉलेजों या 10 + 2 वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूलों से सीधे कैंपस चयन।
- संगठन द्वारा स्वयं के विज्ञापन के माध्यम से
- शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (एस आर) द्वारा आयोजित प्रशिक्षुओं के चयन के केंद्रीकृत पैटर्न में भाग लेना।
- एनटीएएस पोर्टल के ऑनलाइन फेंचिग डेटा से ।

सैंडविचपाठ्यक्रम

कुछ तकनीकी संस्थान डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सैंडविच पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा अनुरोध किए जाने या इस बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर सभी प्रतिष्ठानों को इन सैंडविच पाठ्यक्रमों के छात्रों को 2-3 सेमेस्टर के लिए 48 से 52 सप्ताह की कुल अवधि के लिए 2-3 स्पेल में भर्ती करना आवश्यक है। इन प्रशिक्षुओं के अनुबंध भी पंजीकरण के लिए इस बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने हैं जैसा कि ऊपर पैरा 6 (ए) में उल्लिखित है। उद्योगों से अनुबंध पत्र स्वीकार करने से पहले, एक कॉलेज का वास्तविक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और पंजीकरण कार्ड के साथ जमा करना होगा।

प्रशिक्षण की अवधि –

एक वर्ष

वजीफा

मासिक वजीफा

क्रमांक	शैक्षिकयोग्यता	प्रशिक्षुता की श्रेणी	मासिक वजीफा
1	इंजीनियरिंग स्नातक	स्नातक प्रशिक्षु	रु.9000/-
2	इंजीनियरिंग कॉलेज के सैंडविच कोर्स के छात्र (6 महीने के लिए 2 स्पेल / मंत्र)	स्नातक प्रशिक्षु (सैंडविच)	रु.8000/-
3	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक	तकनीशियनप्रशिक्षु	रु.8000/-
4	पॉलिटेक्निक कॉलेज के सैंडविच कोर्स के छात्र (6 महीने के लिए 2 मंत्र)	तकनीशियनप्रशिक्षु (सैंडविच)	रु.7000/-

नियुक्ति प्रक्रिया

उद्योग पंजीकरण

सभी उद्योग बिना किसी अपवाद के अप्रेंटिस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं। उद्योग को हमारे ऑनलाइन पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in)में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गतिविधि, श्रमशक्ति और बुनियादी ढांचे की सुविधा जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ नामांकन करना होगा।निम्न तालिका उन दस्तावेजों की सूची प्रदान करती है जो नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं

1.निगमनप्रमाण पत्र

2.पैन/टैन

3. गत वर्ष का आयकररिटर्न विवरण

4. कुल श्रमशक्ति विवरण

5.कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति का विवरण

6.एक वर्ष के लिए संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल

7.स्थापना के बारे में संक्षिप्त प्रोफ़ाइल (प्रकार: पीडीएफ, आकार: 1 एमबी से कम)

नोट: सभी दस्तावेज संस्थान द्वारा स्व-सत्यापित होने चाहिए, कार्यालय की मुहर के साथ चिपकाए जाने चाहिए और पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किए जाने चाहिए, जिसमें प्रत्येक का अधिकतम आकार 1 एमबी हो।

मूल्यांकन और अधिसूचना

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) उद्योग में उपलब्ध तकनीकीश्रमशक्ति और प्रशिक्षण सुविधा के आधार पर विशेष संगठन में प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या का आकलन करेगा। उद्योगद्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जानकारी का पता लगाने के बाद, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) अधिनियम की धारा 8(3ए) के तहत अधिसूचना जारी करेगा। बिना शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) की अधिसूचना के उद्योग/स्थापना/अस्पताल द्वारा प्रशिक्षुओं की नियुक्ति पर अधिनियम के तहत विचार नहीं किया जाएगा।

नियोक्ता द्वाराप्रशिक्षुओं की नियुक्ति

इस बोर्ड द्वारा अधिसूचित प्रशिक्षण स्लॉट को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से भरा जाना आवश्यक है;

- इंजीनियरिंग / पॉलिटेक्निक कॉलेजों से सीधे कैंपस चयन
- संगठन द्वारास्वयं के विज्ञापन के माध्यम से
- शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा आयोजित प्रशिक्षुओं के चयन के केंद्रीकृत पैटर्न में भाग लेना।
- NATS पोर्टल से ऑनलाइन डेटा प्राप्त करना / संबंधित राज्य तकनीकी निदेशालय से उम्मीदवारों का पैनल प्राप्त करना

  प्रशिक्षुओं को नियुक्त करते समय, नियोक्ता अधिनियम द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उम्मीदवार की चिकित्सा योग्यता के न्यूनतम मानक को सुनिश्चित करेगा।

  एक व्यक्ति किसी भी निर्दिष्ट व्यापार में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह–
- 14 वर्ष से कम आयु का नहीं हो
- शिक्षा और शारीरिक फिटनेस के ऐसे मानकों को पूरा करता है जो अधिनियम में निर्धारित किए जा सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षुता अनुबंध पंजीकरण फॉर्म (एसीआरएफ) जमा करना

अनुबंध निर्माण की प्रक्रिया उस छात्र की श्रेणी के चयन के साथ शुरू होगी जिसे प्रतिष्ठान प्रदर्शन करना चाहता है। खोज एकल या एकाधिक उम्मीदवार / छात्र के लिए की जा सकती है। अनुबंध निर्माण की पूरी प्रक्रिया सभी कानूनी सुरक्षा वाले भौतिक हस्ताक्षर की जगह नियमों और शर्तों की एक प्रणाली आधारित स्वीकृति होगी।

पूर्व –अपेक्षा

- स्थापना में एक ही खोज में अधिकतम 10 छात्रों के लिए अनुबंध बनाने की क्षमता होगी
- सभी खोजे गए छात्रों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को सामान्य रूप से लागू किया जाएगा

(अ) कार्य ग्रहण की तिथि

(आ) प्रशिक्षण की अवधि

(इ) वजीफे की राशि

(ई) तकनीकी कुशलता

प्रशिक्षण की प्रगति पर निगरानी

नियोक्ता प्रशिक्षण शुरू होने से पहले 12 महीने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की एक प्रति प्रदान करेगा। प्रशिक्षु अपने शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कार्य का रिकॉर्ड रखेगा।

प्रत्येक नियोक्ता उपस्थिति, प्रशिक्षण की प्रगति, मासिक वजीफा संवितरण विवरण, छुट्टी विवरण, दुर्घटना विवरण आदि का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

दावा प्रस्तुत करना

प्रशिक्षण की तिमाही प्रगति के अनुमोदन के बाद नियोक्ता ऑनलाइन दावा जमा कर सकते हैं। प्रगति रिपोर्ट के बिना दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एक वर्ष से अधिक के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। विशेष तिमाही का दावा अगली तिमाही की 10 तारीख से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

अवकाश की मंजूरी

मूल अधिनियम की धारा 15 में,- (i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(1) कार्यस्थल में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते समय एक प्रशिक्षु के साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाने पर प्रशिक्षण अवधि के अनुपालन के अधीन निर्धारित किए जाएंगे।";

(ii) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) एक शिक्षु ऐसी छुट्टी और छुट्टियों के लिए हकदार होगा जैसा कि

उस प्रतिष्ठान में देखा गया जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है।"

काम के घंटे

स्नातक, तकनीशियनप्रशिक्षु उस विभाग के काम के सामान्य घंटों के अनुसार काम करेंगेजिसमें वे प्रशिक्षण के लिए संलग्न हैं।शिक्षुता सलाह के अनुमोदन के अलावा किसी भी प्रशिक्षु की आवश्यकता नहीं होगी या ओवरटाइम काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो इस तरह की मंजूरी नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो कि ऐसा ओवरटाइम प्रशिक्षु के प्रशिक्षण के हित में या सार्वजनिक

हित में है।प्रशिक्षु ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और ऐसी छुट्टियों के लिए जो उस प्रतिष्ठान में मनाई जाती है जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है।

नियुक्ति का प्रस्ताव

अपने प्रतिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार की पेशकश करने के लिए नियोक्ता की ओर से यह अनिवार्य नहीं होगा, न कि नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षु की ओर से यह अनिवार्य नहीं होगा।

नोट: यदि, हालांकि, शिक्षुता के अनुबंध में एक शर्त है कि प्रशिक्षु, प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद नियोक्ता की सेवा करेंगे, इस तरह के समापन पर प्रशिक्षु को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य होगा और प्रशिक्षु को बाध्य किया जाएगा क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार के अनुमोदन के अधीन, उस अवधि के लिए और अनुबंध में निर्दिष्ट पारिश्रमिक के लिए उस क्षमता में नियोक्ता की सेवा करें।

प्रवीणता के प्रमाणपत्र को जारी करना (COP)

नियोक्ता को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ऑनलाइन पोर्टल में चार तिमाहियों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रत्येक स्नातक या तकनीशियन अप्रेंटिस, जो क्षेत्रीय बोर्ड की संतुष्टि के लिए अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे NATS पोर्टल द्वारा दक्षता का एक डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार के आदेश संख्या एफ 36-14/96-टीएस IV दिनांक 6 मई, 1997 के अनुसार अधिनियम के तहत एक वर्ष के शिक्षुता प्रशिक्षण को केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी के लिए एक वर्ष का अनुभव माना जाता है।

घायल होने की अवस्था में प्रतिपूर्ति के लिए नियोक्ता की देयता

अगर एक प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी दुर्घटना के कारण चोट लगती है तो उसका नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो निर्धारित और भुगतान किया जाएगा, जहां तक हो सकता है,के प्रावधानों के अनुसार कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923अनुसूची में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन होगा।

अनुबंध का संशोधन

एक मौजूदा अनुबंध में संशोधन किया जा सकता है यदि प्रशिक्षु 27 दिनों से अधिक की छुट्टी लेता है या जैसा कि उस प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित किया गया है जहां प्रशिक्षु शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षु द्वारा छुट्टी लेने के दिनों की संख्या (27 से अधिक) तक बढ़ाई जाएगी।

स्थापना निम्नलिखित विवरण उसमें दर्ज करेगा जब से वह अनुपस्थित है और उसके अनुपस्थिति का कारण क्या है प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन प्रपत्र डाउनलोड कर सकता है, उसे पूरा कर सकता है और संबंधित क्षेत्रीय बोर्ड के साथ साझा कर सकता है।

संबंधित राज्य अधिकारी या तो अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं या स्थापना द्वारा उठाए गए संशोधन अनुरोध पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं
प्लेसमेंट अधिकारी संबंधित अधिकारी को अनुरोध सौंपेंगे
संबंधित क्षेत्रीय राज्य अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध को आगे निदेशक को अग्रेषित करेगा
अनुबंध संशोधन अनुरोध अब निदेशक द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार किया जा सकता है ।
स्थापना को प्राप्त एक अधिसूचना से अनुबंध संशोधन अनुरोध की अनुमोदन/अस्वीकृति दे सकता है ।

अनुबंध का नवप्रवर्तन

अनुबंध का नवीनीकरण तब होता है जब कोई प्रतिष्ठान बंद हो जाता है या ऐसी स्थिति में जहां वे प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
अनुरोध बनाएं
प्रथम नियोक्ता (स्थापना) उपयुक्त प्रारूप में नवप्रवर्तन के लिए अनुरोध करसकते हैं ।इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए जाएंगे:

अ. अनुबंध पंजीकरण संख्या
ब. नया नियोक्ता (स्थापना के नाम से खोजें)
स. वर्तमान संगठन से बंद होने की तिथि
द. उपरोक्त जानकारी के साथ नवप्रवर्तन का कारण, अनुबंध प्रपत्र का नवप्रवर्तन सृजित किया जाएगा
राज्य अधिकारी को नवप्रवर्तन अनुरोध के बारे में सूचित किया जाएगा
स्थापना फॉर्म का प्रिंटआउट लेगा, प्रासंगिक हस्ताक्षर प्राप्त करेगा और भौतिक प्रति बीओएटी/बीओपीटी को साझा करेगा।

राज्य अधिकारी, भौतिक अनुबंध की समीक्षा के बाद अनुरोध को मंजूरी देगा। अनुमोदन के बाद, एक पत्र उत्पन्न किया जाएगा।

अनुबंध को रद्द करना

जहां किसी नियोक्ता की ओर से उसके नियमों और शर्तों को पूरा करने में विफलता के माध्यम से शिक्षुता का अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, ऐसे नियोक्ता प्रशिक्षु को उसके तीन महीने के पिछले वजीफे के बराबर राशि का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा और जब उक्त रद्द उपरोक्त तरीके से एक प्रशिक्षु की ओर से विफलता के कारणहोता है, तो संबंधित अनुमोदित सलाहकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की एक प्रशिक्षण लागत को ऐसे प्रशिक्षु से या उसके अभिभावक से वसूली योग्य बनाया जाएगा यदि वह नाबालिग है। हालांकि, प्रशिक्षुद्वारा देय मुआवजे के भुगतान के बिना शिक्षुता का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है:

- बशर्ते दोनों पक्ष अनुबंध की पूर्व समाप्ति के लिए सहमत हों ।
- बशर्ते प्रशिक्षु को नियमित रोजगार मिल गया हो (नियुक्ति आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने पर)
- बशर्ते कि प्रशिक्षु चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण जारी रखने में असमर्थ हो (चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जो कि सिविल सर्जन की पद से कम न हो)।
- जहां शिक्षुता के अनुबंध को ऐसी स्थिति में अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में प्रशिक्षु की ओर से विफलता के लिए समाप्त कर दिया जाता है, प्रशिक्षु किसी अन्य नियोक्ता के साथ अधिनियम के तहत शिक्षुता के दूसरे अनुबंध में प्रवेश करने का हकदार नहीं होगा।

नियुक्ति प्रक्रिया फ़्लोचार्ट

अभिनव दृष्टिकोण

केन्द्रीयकृतवॉक-इनसाक्षात्कार

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) चेन्नई ने शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों का चयन करने के लिए केंद्रीकृत चयन का आयोजन शुरू कर दिया है, जो उद्योग और उम्मीदवारों दोनों को अपनी आकांक्षा पूरी करने में सक्षम बनाता है।

उद्योग.–संस्थान की बैठकें:

सभी राज्यों और क्षेत्रों में उद्योगद्वारा बैठके आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य योजनाओं को लोकप्रिय बनाना होगा ।

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) दृष्टि

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) दृष्टि 2017

फार्मस

- प्रशिक्षु अधिनियम 1961
- शिक्षुता नियम संशोधित 2015
- विषय क्षेत्रों की सूची
- NATS पोर्टल प्रक्रिया नियमावली
- विधार्थीनामांकन उपयोगकर्तानियमावली
- अनुबंध निर्माण उपयोगकर्तानियमावली
- निष्पादन को जोडते हुए यूसर नियमावली
- विधार्थीद्वारा स्थापना में आवेदन करना
- सुविधा प्रशिक्षण प्लेसमेंट
- वीडियो शिक्षण

सूचना का अधिकार

- अपीलीय प्राधिकरण

श्री. वी. कृपा शंकर
निदेशक एवं क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
सीआईटी परिसर, चौथा क्रॉस रोड, तारामणि
चैन्नई 600 113
दूरभाष-044-22541359
E-mail: dirsr.chn-mhrd@gov.in

- जन सूचना अधिकारी (**पीआईओ**)

श्री वी.एस.पाण्डेय
उपनिदेशक एवं जनसूचना अधिकारी
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
सीआईटी परिसर, चौथा क्रॉस रोड, तारामणि
चैन्नई -600 113
दूरभाष -044-2254 1292/2254 2236 एक्सटेंशन 205
E-mail : knofficer@boat-srp.com

- लोक शिकायत अधिकारी

श्री एम.सुरेश कुमार
जनसंपर्क अधिकारी लोक शिकायत
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
सी आई टी परिसर, चौथा क्रॉस रोड ,तारामणि
चैन्नई -600 113
दूरभाष -044-2254223522542236, एक्सटेंशन 207
E-mail:tnofficer@boat-srp.com

- सतर्कता अधिकारी

श्री एस युवराज
प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
सीआईटी परिसर, चौथा क्रॉसरोड, तारामणि
चैन्नई-600 113
दूरभाष- 044-22542235/22542236 एक्सटेंशन 210
E-mail: aao@boat-srp.com

महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समितिका गठन

1.श्री एस युवराज एएओ (समिति के समन्वयक)
2.श्रीमती माधवी सेल्वराज, कनिष्ठ सहायक (आंतरिक)
3.श्रीमती एस.सुधारानी, उच्च श्रेणी लिपिक (आंतरिक)
4.लेखापरीक्षक (बाहरी)

थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट 2020
नागरिक चार्टर

संगठन चार्ट

भर्ती नियम -शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) ,चेन्नई

कौन कौन है?

अवकाश 2020

कर्मचारियों के वेतन विवरण

सुचना का अधिकार अधिनियम

एमएसडीई को तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुता योजना का स्थानांतरण
शिक्षुता अधिनियम, नियम एवं संशोधन
शिक्षुता अधिनियम 1961
शिक्षुता नियम (समेकित)
शिक्षुता (संशोधन) नियम 2015
शिक्षुता (संशोधन) नियम 2016
शिक्षुता (संशोधन) नियम 2017
शिक्षुता (संशोधन) नियम 2019
वेबसाइट अंतिम बार 30 दिसंबर 2020, 12.47 बजे अपडेट की गई।

हमारी सफलता पर दृष्टि

हमारे बारे में –
वैज्ञानिक श्रमशक्ति समिति जो पांच दशक पहले गठित की गयी थी उसके सिफारिशों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने इसका शुभारंभ किया।

शीघ्र लिंकस

- शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के बारे में

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड का गठन

लगभग पांच दशक पहले की गई वैज्ञानिक जनशक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने नए इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा अभियांत्रिकीधारकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक 'व्यावहारिक प्रशिक्षण वजीफा योजना' शुरू की थी।
यह योजना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में सीधे प्रशासित की गई थी, प्रारंभ में इस योजना के तहत, स्वैच्छिक आधार पर भाग लेने वाले उद्योगों / प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षुओं को देय वजीफे की लागत को समान रूप से साझा करने का अनुरोध किया गया था।चूंकि इस योजना के प्रति उद्योगों/प्रतिष्ठानों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक थी और जरूरतमंद उम्मीदवारों से प्रशिक्षण की मांग समान रूप से बढ़ रही थी, इस योजना को इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन के लिए विकेंद्रीकृत किया गया था।जैसा कि प्रशिक्षण

की मांग काफी खतरनाक रूप से बढ़ी, भारत सरकार ने वर्ष 1969 में चेन्नई, कानपुर, मुंबई और कोलकाता में चार क्षेत्रीय शिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्डों की स्थापना की, "स्वायत्त निकायों" के रूप में औद्योगिक संघों और संगठनों, राज्य के प्रतिनिधित्व वाले सरकारें और अन्य पेशेवर निकाय।इस प्रकार योजना का प्रशासन इन बोर्डों के पास स्वतंत्र रूप से कार्य करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ निहित था, जो कि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत नए इंजीनियरिंग स्नातकों / तकनीशियन प्रशिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1973 में संशोधित किया गया था।
अप्रेंटिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 10 +2 व्यावसायिक/जूनियर कॉलेजों/इंटरमीडिएट पास आउट छात्रों के उत्पादों को लाने के लिए अधिनियम में एक बार फिर 1986 में संशोधन किया गया है। प्रशिक्षुओं की नई श्रेणी को तकनीशियन (व्यावसायिक) अप्रेंटिस कहा जाता है।

ये चार क्षेत्रीय बोर्ड अपने संबंधित क्षेत्रों में शिक्षुता प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना को लागू करने के लिए अधिकृत एजेंसियां हैं।

- **NEEM**

राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन

- नीम राजपत्र अधिसूचना
- नीम –आवेदन प्रपत्र
- नीम –प्राधिकरण पत्र एवं शपथ पत्र
- संभावनाएं

काम का अभिलेख
की वर्ल्डस

- संपर्क करें

संपर्क जानकारी:
डाक पता –
निदेशक (प्रशिक्षण)
क्षेत्रीय केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार
शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग
सी आई टी परिसर
तारामणि
चेन्नई 600 113

दूरभाष:
+91-44-22541292/22542236फैक्स: +91-44-22541563
टोलमुक्तनंबर18004252239
वेब पोर्टल:www.mhrdnats.gov.in
वेब साइट: www.boat-srp.com

ईमेल:director@boat-srp.com
dirsr.chn-mhrd@gov.in

मानचित्र में स्थान:
राज्यवार अधिकारी संपर्क ई-मेल आईडी
आंध्र प्रदेश
apofficer@boat-srp.com
generalqueryap@boat-srp.com
कर्नाटक
knofficer@boat-srp.com
केरल एवं पोर्टल
klofficer@boat-srp.com
तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी
tnofficer@boat-srp.com
तेलंगाना
tlofficer@boat-srp.com
generalquerytl@boat-srp.com
राष्ट्रीय वेब पोर्टल संपर्क ई-मेल आईडी
विधार्थीशिकायते
studentquery@boat-srp.cpm
उद्योगशिकायतें
industryquery@boat-srp.com
संस्थान शिकायतें
institutionquery@boat-srp.com

संबंधित वेबसाइट

यह लिंक्स आपको हमारे वेब स्पेल से बाहर ले जाएगा और आप बाहरी वेबसाइट से जुड जाएंगे । शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) या राष्ट्रीय

सूचना केंद्र लिंक की गई वेबसाइटों की सामग्री या विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और जरूरी नहीं कि उनके भीतर व्यक्त विचारों का समर्थन करें। लिस्टिंग को किसी भी प्रकार के समर्थन के रूप में नहीं लिया जाएगा। हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये लिंक हर समय काम करेंगे और लिंक किए गए पृष्ठों की उपलब्धता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

- शिक्षा मंत्रालय
- शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र) मुबंई
- शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कोलकाता
- शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर
- शिक्षुता अधिनियम 1961
- राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन (नीम)

- **FAQ**

1. **क्या कोई नियोक्ता निर्धारित न्यूनतम वजीफा दर से मासिक वजीफे की उच्च दर का भुगतान कर सकता है?**

   नियोक्ता एक प्रशिक्षु को न्यूनतम निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान कर सकता है। हालांकि, 50% प्रतिपूर्ति केवल निर्धारित राशि तक ही सीमित है। अधिकांश नियोक्ता उम्मीदवारों को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए संलग्न करने और नौकरी छोड़ने को कम करने के लिए वजीफा की उच्च दर का भुगतान करते हैं।

2. क्या प्रशिक्षुओं को श्रमिक माना जा सकता है?

   अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार –

   (अ) एक प्रतिष्ठान में एक निर्दिष्ट व्यापार में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक प्रशिक्षु एक प्रशिक्षु होगा और श्रमिक नहीं होगा; तथा

   (आ) श्रम के संबंध में किसी भी कानून के प्रावधान ऐसे प्रशिक्षु पर या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे।

3. क्या प्रबंधन प्रशिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए माना जा सकता है?

   नहीं, प्रबंधन प्रशिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

4. जब प्रशिक्षु अवकाश पर जाता है तो क्या नियोक्ता वजीफा काट सकता है?

   शिक्षुता नियम, 1992 नियम 12 के अनुसार, उस अवधि के लिए वजीफा से कोई कटौती नहीं की जाएगी, जिसके दौरान एक प्रशिक्षु आकस्मिक अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर रहता है। हालांकि, उस अवधि के लिए वजीफा का भुगतान नहीं किया जाएगा, जिसके लिए एक प्रशिक्षु असाधारण अवकाश पर रहता है।

5. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा अधिसूचित होने के बाद मैं एक प्रशिक्षु के लिए अनुबंध कैसे पंजीकृत किया जा सकता है ?

एक नियोक्ता को अनुबंधों को ऑनलाइन पंजीकृत करना होता है, बीओएटी (एसआर) एक यूनिक शिक्षुता अनुबंध पंजीकरण संख्या जारी करेगा।

6. नियोक्ता प्रशिक्षुओं का चयन कैसे करते हैं?

चयन का तरीका इस प्रकार है –

1. इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेजों से सीधे कैंपस चयन।
2. संगठन द्वारा स्वयं के विज्ञापन के माध्यम से
3. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा आयोजित शिक्षुओं के चयन के केंद्रीकृत पैटर्न में भाग लेना।
4. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डके पोर्टल से ऑनलाइन डेटा प्राप्त करना / संबंधित राज्य तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय से उम्मीदवारों का पैनल प्राप्त करना।

7. यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण में रुचि नहीं दिखा रहा है तो नियोक्ता क्या कार्रवाई कर सकता है?

नियोक्ता निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा–

1. प्रशिक्षु को उसकी गलती सुधारने के लिए उचित परामर्श दिया जाएगा।
2. यदि प्रशिक्षु ने अपनी गलती को सुधारा नहीं है, तो प्रशिक्षु को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें उसे अपना विचार सुधारने / व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। उसी की प्रति BOAT (SR), चेन्नई को भेजी जाए
3. एक जांच समिति का गठन किया जाए, और जांच समिति की सिफारिश के आधार पर शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) चेन्नई को सूचित करते हुए कार्रवाई की जा सकती है।

8. मेरे संगठन को क्या लाभ होगा यदि वह प्रशिक्षुओं को लेता है?

संगठन की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी ।

1. संगठन की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी।
2. प्रशिक्षितश्रमशक्ति प्राप्त करने कायह एक आसान तरीका है ।
3. भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 50% वजीफा प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
4. यह एक वैधानिक दायित्व है।

9. प्रशिक्षु के काम के घंटे की समयसीमा क्या हैं?

एक कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान एक प्रशिक्षु के साप्ताहिक और दैनिक काम के घंटे ऐसे होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं। स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु जिस स्थापना में प्रशिक्षण के लिए संलग्न हैं, उस विभाग के काम के सामान्य घंटों के अनुसार काम करेंगे।

10. वेबपोर्टल और पोर्टल आईडी में शामिल मॉड्यूल क्या हैं?

वेब पोर्टल में शामिल मॉड्यूल हैं;

1. अभ्यर्थी का पंजीकरण
2. स्थापना का पंजीकरण
3. प्रशिक्षण प्लेसमेंट की सुविधा
4. अनुबंध प्रबंधित करें
5. प्रगति का रिकार्ड /प्रदर्शन जोड़ें
6. वजीफा प्रबंधित करें
7. प्रवीणता का डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करना ।
8. प्रबंधन रिपोर्ट
9. शिकायत निवारण
10 विधार्थीप्रतिक्रिया

पोर्टल आईडी - **www.mhrdnats.gov.in**

11 प्रशिक्षुओं के दायित्व क्या हैं?

शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्नातक, तकनीशियन अप्रेंटिस और तकनीशियन (व्यावसायिक) अप्रेंटिस के निम्नलिखित दायित्व होंगे, अर्थात्: -

(अ) अपने प्रशिक्षण के स्थान पर अपने इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी (या व्यावसायिक पाठ्यक्रम) के विषय क्षेत्र को ईमानदारी से और लगन से सीखने के लिए;

(आ) नियमित रूप से व्यावहारिक और शिक्षण कक्षाओं में भाग लेने के लिए

(इ) स्थापना में अपने नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी वैध आदेशों को पूरा करने के लिए;

(ई) शिक्षुता के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जिसमें उनके काम के ऐसे रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होगा जैसा कि मेरे द्वारा निर्धारित किया गया है।

12. नियोक्ताओं के दायित्व क्या हैं?

अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 की धारा 12 के अनुसार, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक नियोक्ता के पास एक प्रशिक्षु के संबंध में निम्नलिखित दायित्व होंगे, अर्थात्–

(अ) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रशिक्षु को अपने व्यापार में प्रशिक्षण प्रदान करना;

(आ) यदि नियोक्ता स्वयं व्यापार में योग्य नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक व्यक्ति (जो निर्धारित योग्यता रखता है) को प्रशिक्षु के प्रशिक्षण का प्रभारी बनना चाहिए ।

(इ) शिक्षुता के अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए।

13. प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं?

एक व्यक्ति स्नातक या तकनीशियन या तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह अनुसूची 1-अमें निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में से एक को पूरा करता है:

1. स्नातक अप्रेंटिस–(अ) एक वैधानिक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री।

(ब) किसी संस्था द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा ऐसी डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया हो।

(स) एक डिग्री के समकक्ष के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकायों की स्नातक परीक्षा।

(ड) एक सैंडविच कोर्स का छात्र जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ताकि वह ऊपर (अ) और (ब) में उल्लिखित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री प्राप्त कर सके।

2. तकनीशियन अप्रेंटिस – (अ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

(ब) किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।

(स) ऊपर (अ) और (ब) के समकक्ष राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा। ।

(द) एक सैंडविचपाठ्यक्रमकाविधार्थी जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है ताकि वह ऊपर (अ), (ब) और (स) में उल्लिखित डिप्लोमा प्राप्त कर सके ।

14. शिक्षुता प्रशिक्षण का क्या अर्थ है ?

अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 की धारा 2 (अअअ) " शिक्षुता प्रशिक्षण को परिभाषित करती है और इसका अर्थ है किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम जो शिक्षुता के अनुबंध के अनुसरण में और निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत लिया गया है जो विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षुओं के लिए भिन्न हो सकते हैं।

15. अधिसूचित प्रशिक्षण स्लॉट का उपयोग करने के लिए योजना नियोक्ता को क्या लचीलापन प्रदान करती है?

नियोक्ता डिप्लोमा इंजीनियरों के साथ स्नातक स्लॉट का उपयोग कर सकते हैं और इसके विपरीत

1. नियोक्ता एक अनुशासन में अधिक प्रशिक्षुओं कोनियुक्त कर सकता है यदि अन्य विषयों में उम्मीदवारों को प्राप्त करना मुश्किल हो।
2. यदि नियोक्ता अधिसूचित प्रशिक्षण पदों के अलावा और अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहता है तो वे शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) से आवश्यक संख्या जोड़ने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

16. प्रशिक्षु की प्रक्रिया की निगरानी के लिए तंत्र क्या है और नियोक्ता कब दावा प्रस्तुत कर सकता है?

शिक्षुता प्रशिक्षण की निगरानी तिमाही आधार पर तीन महीने में एक बार निगरानी रखनी होगी ।नियोक्ता प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन (निष्पादन को जोडते हुए) , पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न दावा प्रपत्र की हार्ड कॉपी जमा करेगा। शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र)प्रगति रिपोर्ट और दावा प्रपत्र का सत्यापन करेगा और प्रतिपूर्ति करेगा ।

17. इंजीनियरिंग की एक निर्दिष्ट शाखा के लिए अप्रेंटिस की संख्या कितनी होगी ?

स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षुओं के लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं है। यह नियोक्ता के परामर्श से क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाता है।

18. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि क्या है?

स्नातक और तकनीशियन प्रशिक्षुओंअप्रेंटिस के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी और यह अधिनियम के तहत केवल एक बार किया जा सकता है।

19. शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) के साथ किसी संगठन को नामांकित करने की प्रक्रिया होगी ?

एनएटीएस पोर्टल (www.mhrdnats.gov.in) पर निम्नलिखित दस्तावेज (अधिकतम 1 एमबी पीडीएफ में) अपलोड करने की आवश्यकता है।

1. पैन/टैन
2. कंपनी का प्रोफाइल
3. नवीनतम आयकर रिटर्न
4. निगमन का प्रमाण पत्र
5. शिक्षुता प्रशिक्षण का संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल
6. यौन उत्पीड़न पर आंतरिक समिति

20. प्रशिक्षुओं को अवकाश प्रदान करने के लिए क्या प्रक्रिया है ?
कंपनी अवकाश नीति के अनुसार।

22. वजीफा विवरण और प्रतिपूर्ति का प्रतिशत क्या है?
अप्रेंटिस अधिनियम के अनुसार स्नातक अप्रेंटिस के लिए वजीफा ₹ 4984/-, तकनीशियन अप्रेंटिस ₹ 3542/- और तकनीशियन (सैंडविच) अप्रेंटिस ₹ 2950/- है। जिसमें से 50% की प्रतिपूर्ति नियोक्ता को की जाती है।
23. शिक्षुता अनुबंध पंजीकरण कार्ड फॉर्म जमा करने की समय सीमा क्या है?
शिक्षुता नियम, 1992 के खंड 6(1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता शामिल होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर NATS पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता का अनुबंध तैयार करेगा।
24. प्रशिक्षु को वजीफा कब दिया जाना चाहिए?
शिक्षुता नियम, 1992 नियम 12 के अनुसार, किसी विशेष महीने के लिए वजीफा का भुगतान अगले महीने के दसवें दिन तक किया जाएगा।

रिपोर्ट्स

वार्षिक रिपोर्ट्स

- वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021
- वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020
- वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019
- वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018
- वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017
- वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016
- वार्षिक रिपोट 2014-2015

- वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014

<u>बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 - 16)</u>

- वर्ष 2013 - 2014 में निर्धारित लक्ष्य
- आज की तारीख के अनुसार वर्ष में प्राप्त लक्ष्य
- वर्ष 2012-2013 में हासिल किया गया लक्ष्य
- वर्ष 2012-2013 में प्राप्त क्षेत्रवार लक्ष्य

<u>ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 11)</u>

- दक्षिणी क्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना श्रेणीवार
- दक्षिणी क्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
- क्षेत्रवार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना श्रेणीवार
- क्षेत्रवार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

<u>दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 - 06)</u>

- दक्षिणी क्षेत्र दसवीं पंचवर्षीय योजना श्रेणीवार
- दक्षिणी क्षेत्र दसवीं पंचवर्षीय योजना अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
- क्षेत्रवार दसवीं पंचवर्षीय योजना श्रेणीवार
- क्षेत्रवार दसवीं पंचवर्षीय योजना अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
- प्रकटीकरण

हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड - (दक्षिणी क्षेत्र) उपयोग में आने वाले उपकरण, प्रौद्योगिकी या क्षमता के बावजूद सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ है। इसे अपने आगंतुकों को अधिकतम पहुंच और उपयोगिता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

हमने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है कि इस पोर्टल पर सभी जानकारी विकलांग लोगों के लिए सुलभ हो। उदाहरण के लिए, दृश्य अक्षमता वाला उपयोगकर्ता स्क्रीन, रीडर और मैग्निफायर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके इस पोर्टल तक पहुंच सकता है।

हमारा लक्ष्य मानकों के अनुरूप होना और उपयोगिता और सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों का पालन करना है, जो इस पोर्टल के सभी आगंतुकों की मदद करनी चाहिए।

यह पोर्टल एक्सएचटीएमएल 1.0 ट्रांजिशनल का उपयोग करके बनाया गया है और वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम (डब्ल्यू3सी) द्वारा निर्धारित वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्ल्यूसीएजी) 2.0 की प्राथमिकता 1 (स्तर ए) को पूरा करता है। पोर्टल में जानकारी का

एक हिस्सा बाहरी वेब साइटों के लिंक के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। बाहरी वेब साइटों का रखरखाव संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है जो इन साइटों को सुलभ बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शिक्षु अधिनियम, 1961

- गोपनीयता नीति
  वेबसाइट नीति

उपयोग की शर्तें: यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं), शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड - (दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा आयोजित किया जाता है। यद्यपि इस साइट पर सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, इसे कानून के एक बयान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एनआईसी सामग्री की सटीकता, पूर्णता, उपयोगिता या अन्यथा के संबंध में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित सरकारी विभाग (विभागों) और/या अन्य स्रोत (स्रोतों) के साथ किसी भी जानकारी को सत्यापित/जांच लें, और साइट में प्रदान की गई जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले कोई उपयुक्त पेशेवर सलाह प्राप्त करें।

किसी भी घटना में बोर्ड या एनआईसी किसी भी खर्च, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति, या किसी भी व्यय, हानि या क्षति, जो भी उपयोग से उत्पन्न हो, या डेटा के उपयोग की हानि, से उत्पन्न हो रही हो या इस साइट के उपयोग के संबंध में। इस साइट पर शामिल की गई अन्य वेबसाइटों के लिंक केवल सार्वजनिक सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

ये नियम और शर्तें भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और लागू होंगी। इन नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारत के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

गोपनीयता नीति

शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) और शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) पर आधारित ऐप्स जैसे कि विंडोज 8 ऐप स्वचालित रूप से आपसे कोई विशिष्ट व्यक्तिगत जानकारी नहीं लेता है;जैसे नाम;फोन नंबर या ई-

मेल पता); कि हमें आपको व्यक्तिगत रूप से पहचानने की अनुमति देता है।

यदि शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) आपसे व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आपको उन विशेष उद्देश्यों के लिए सूचित किया जाएगा जिनके लिए जानकारी एकत्र की गई है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

हम किसी भी तीसरे पक्ष (सार्वजनिक/निजी) को शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) साइट पर स्वेच्छा से किसी भी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी को बेचते या साझा नहीं करते हैं। इस साइट को प्रदान की गई कोई भी जानकारी हानि, दुरुपयोग, अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण, परिवर्तन या विनाश से सुरक्षित रहेगी।

हम उपयोगकर्ता के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पते, डोमेन नाम, ब्राउज़र प्रकार, ऑपरेटिंगसिस्टम, विज़िट की तिथि और समय और देखे गए पृष्ठ। हम इन पतों को हमारी साइट पर आने वाले व्यक्तियों की पहचान से जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, जब तक कि साइट को नुकसान पहुंचाने के प्रयास का पता नहीं चलता।

लिंकिग नीति

बाहरी वेबसाइटों/साइटों के लिंक

इस साइट में कई स्थानों पर, आपको अन्य वेबसाइटों/साइटों के लिंक मिलेंगे। यह लिंक आपकी सुविधा के लिए रखा गया है। एनआईसी लिंक की गई वेबसाइटों की सामग्री और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार नहीं है और जरूरी नहीं कि उनमें व्यक्त विचारों का समर्थन करता हो। इस साइट पर केवल लिंक की उपस्थिति या इसकी लिस्टिंग को किसी भी प्रकार के समर्थन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये लिंक हर समय काम करेंगे और लिंक किए गए पृष्ठों की उपलब्धता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

अन्य वेबसाइटों द्वारा शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) के लिंक

हम आपको इस साइट पर होस्ट की गई जानकारी से सीधे जोड़ने पर आपत्ति नहीं करते हैं और इसके लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हम चाहते हैं कि आप हमें इस साइट को प्रदान किए गए किसी भी लिंक के बारे में सूचित करें ताकि आपको इसमें किसी भी बदलाव या अपडेट के बारे में सूचित किया जा सके। साथ ही, हम अपने पृष्ठों को आपकी साइट पर फ्रेम में लोड करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस साइट से संबंधित पृष्ठों को उपयोगकर्ता की नई खुली ब्राउज़र विंडो में लोड होना चाहिए।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संपर्क करें
+91-44-22541563
studentquery@boat-srp.com
हमसे संपर्क करें –

सार्वजनिक सूचना
दलालों एवं जॉब दिलाने वाले इंटर्नशिप / अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग / महामारी बेरोजगारी मुआवजा (पीयूसी) -कोविद -19 की पेशकश करने वाले से सावधान रहें ।
बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप/प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान तत्व/दलाल निर्दोष लोगों/बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अवसरों पर उन्होंने फर्जी वेबसाइटें भी स्थापित की हैं जैसे (http://negr.in.net) ईमेल / नोटिस छात्रों को शुल्क का भुगतान करने के लिए गुमराह करना, डिजिटल मोड के माध्यम से सावधानी जमा करना। कभी-कभी, वे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के तहत जाली/नकली दस्तावेजों का उपयोग करके राष्ट्रीय पोर्टल, क्षेत्रीय बोर्डों के लोगो, मुहर, संचार, ईमेल और वेबसाइटों का उपयोग करके इंटर्नशिप नौकरियों का वादा करते हैं ताकि छात्रों को उनके मेल/संचार पर विश्वास किया जा सके।
याद रखें, शिक्षा मंत्रालय के तहत इंटर्नशिप / शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भर्ती की प्रक्रिया अधिकृत प्रतिष्ठानों द्वारा की जाती है जो विभिन्न श्रेणियों के लिए चेन्नई, मुंबई, कानपुर और कोलकाता में स्थित क्षेत्रीय शिक्षुता / व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, न कि किसी अन्य एजेंसीद्वारा।
कृपया ध्यान दें कि शिक्षुता/इंटर्नशिप प्रशिक्षण नामांकन के लिए कोई पैसा/सावधानी जमा/शुल्क नहीं लिया जाता है। जनता से अनुरोध है कि

वे ऐसे तत्वों / दलालों से सावधान रहें जो एनएटीएस योजना के तहत एनएटीएस / एमओई / क्षेत्रीय बीओएटी / बीओपीटी के नाम पर ठगी करने के झूठे वादों के साथ धोखा देने और गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं।

विधार्थीयोंको सलाह दी जाती है कि वे विवरण के लिए केवल निम्नलिखित क्षेत्रीय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखें। विधार्थीयों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी क्षेत्रीय बोर्ड को इस तरह के फर्जी फोन कॉल या मेल प्राप्त होने पर तुरंत सूचित करें, ताकि दंडनीय तत्काल कार्रवाई के लिए धोखाधड़ी / दलालों / नौकरी करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सके।

BOAT (SR) -044-22542236/22541292 **(www.boat-srp.com)**
BOAT (WR) 022-2405635/24056082 **(www.apprentice-engineer.com)**
BOAT (ER) 033-23370750/23370751 **(www.bopter.gov.in)**
BOAT (NR) 0512 2584056/2584057 **(www.boatnr.org)**
राष्ट्रीय वेब पोर्टल -044 22542236 एक्सटेंशन249 **(www.mhrdnats.gov.in)**

यह सार्वजनिक सूचना शिक्षुता प्रशिक्षण/प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के क्षेत्रीय बोर्डों की ओर से जारी की जाती है।

निदेशक, शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र) चेन्नई